भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2209

गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता योजना

2209 श्री रतनजीत प्रताप नारायन सिंह:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता योजना के उद्देश्यों और इसके लिए पात्र संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पात्र परियोजनाओं के प्रकार और अनुमोदन के लिए मुख्य मानदंड क्या हैं;

(ग) पिछले वर्ष इस योजना के अंतर्गत संस्थानों की स्थापना, विस्तार और उन्नयन के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत संस्थानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का उचित उपयोग कैसे सुनिश्चित करता है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय, "होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम)/खाद्य शिल्प संस्थान (एफसीआई)/ भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम)/भारतीय पाककला संस्थान (आईसीआई)/ राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी)/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को केंद्रीय वित्तीय सहायता" की योजना के अंतर्गत केंद्रीय/राज्य के आईएचएम, छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, परिसर विकास कार्य, भवन का विस्तार/अतिरिक्त निर्माण एवं परिवर्तन, उपकरणों का प्रतिस्थापन/उन्नयन आदि परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य पर्यटन और आतिथ्य उद्योग जगत की आवश्यकताओं को मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से पूरा करने के लिए उक्त संस्थानों को पर्याप्त श्रमशक्ति (मेनपावर) उत्पन्न करने में सक्षम बनाना है।

इस योजना के तहत पिछले वर्ष, अर्थात 2024-25 के दौरान संस्थानों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए सीएनए के माध्यम से कुल 30.41 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे, जिसमें संस्थानों की स्थापना, विस्तार और उन्नयन शामिल है।

(घ): मंत्रालय निम्नलिखित तरीकों से जारी की गई निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है:

i. चरणबद्ध तरीके से निधियां जारी करना: पहली किश्त (40%) भूमि हस्तांतरण, सोसाइटी पंजीकरण और अन्य आवश्यक जाँच-पड़ताल के बाद, अगली किश्तें (40%, 15%) उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और प्रगति रिपोर्ट जमा करने पर और अंतिम 5% किश्त परियोजना पूरी होने और सभी दस्तावेज़ (पूर्णता प्रमाणपत्र, क्रेडिट का प्रदर्शन, आदि) जमा करने के बाद जारी की जाती है।
ii. उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) की आवश्यकता: सहायक खातों और भौतिक प्रगति सहित पूर्व में जारी निधियों के 75% व्यय संबंधी उपयोग प्रमाणपत्र।
iii. कार्यान्वयन एजेंसी की जवाबदेही: निधियों का प्रबंधन केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के माध्यम से किया जाता है। उप-एजेंसियों (कार्यान्वयन एजेंसियां) को एसबीआई में जीरो-बैलेन्स अकाउंट खोलना होता है। निकासी सीमा और निधि जारी करना वास्तविक समय के उपयोग से जुड़ा होना चाहिए। अप्रयुक्त शेष राशि सीएनए के खाते में वापस जमा की जानी चाहिए।
iv. ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित करने पर कार्य चल रहा है।

*****